एकम्

का

संविधान एवं नियम

EKAM SANATAN BHARAT DAL

December 2023

CONTENTS

Contents

धारा - 1: पार्टी का परिचय 5

धारा- 2: मूल दर्शन और संकल्प 7

धारा - 3: पार्टी के चिन्ह 10

धारा - 4: पार्टी की सदस्यता 12

धारा - 5: प्रदेशों का श्रेणीकरण 17

धारा - 6: राष्ट्रीय कार्यकारिणी 18

धारा - 7: राज्य की संचालन समिति, कार्यकारिणी तथा केंद्र-राज्य समायोजन 27

धारा - 8: बैठकें 42

धारा - 9: पार्टी फण्ड 44

धारा - 10: पार्टी संविधान का संशोधन 47

धारा - 11: विलय, विभाजन और विघटन प्रक्रिया 48

धारा -12: आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए(5) के तहत अनिवार्य प्रावधान 49

संविधान एवं नियम
एकम् सनातन भारत दल

धारा - 1: पार्टी का परिचय

अनुच्छेद - 1.1: नाम

पार्टी का नाम **"एकम् सनातन भारत दल"** होगा **(**आगे **"पार्टी"** या **"एकम्"** शब्द से यही बोध होगा**)** ।

अनुच्छेद - 1.2: इतिहासः

'एकम् सनातन भारत दल**'** भारत देश के जम्मू-कश्मीर प्रान्त के जम्मू संभाग में सनातन के संरक्षण और संवर्धन के संकल्प को ले कर श्री अंकुर शर्मा जी द्वारा **2021** में बनाई गयी राजनीतिक पार्टी **"**इक्कजुट जम्मू**"** का अखिल भारतीय विस्तार है।

अनुच्छेद - 1.3: उद्देश्य

पार्टी भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ऐसा राष्ट्र जो आधुनिक**,** प्रगतिशील और प्रबुद्ध दृष्टिकोण वाला होने के साथ भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेता हो तथा धर्मानुकूल कार्य करता हो।

पार्टी भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करेगी जो इसके मेहनतकश नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने के साथ-साथ विश्व के बाकी के बीच एक मजबूत, समृद्ध, आधुनिक और प्रबुद्ध देश के रूप में खड़ा होने में सक्षम हो। पार्टी यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगी कि सभी नागरिक राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से अवगत हों तथा वहां से प्रेरणा लेकर और गर्व की अनुभूति करें।

धारा - 2: मूल दर्शन और संकल्प

अनुच्छेद - 2.1: मूल दर्शन

अनुच्छेद - **2.2** में दिए गए सप्त-संकल्प पार्टी का मूल दर्शन होगा। पार्टी के क्रियान्वयन में कोई भ्रम या अस्पष्टता की परिस्थिति में पार्टी सनातन शास्त्रों **(**विशेषकर श्रीमद भागवत गीता**)** से मार्गदर्शन लेगी।

अनुच्छेद - 2.2: सप्त संकल्प

2.2.1 एकम् सनातन भारत दल संविधान में संशोधन कर भारत की राजसत्ता को संवैधानिक तौर पर बाध्य करेगा कि वह भारत का सनातन बाहुल्य चरित्र सदा सदा के लिए सुनिश्चित एवं संरक्षित करे।

हिंदू नरसंहार एवं जनसांख्यिकी परिवर्तन **(**भूमि जिहाद अथवा अन्य साधनों से**)** भारत की राजसत्ता के विरुद्ध किए गए अपराध माने जाएँगे जिनको ले कर मृत्युदंड का प्रावधान कानून द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2.2 संविधान में संशोधन कर केवल **5%** से कम जनसंख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना। साथ ही भारत को विश्व के सभी सनातनधर्मियों का नैसर्गिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोलना।

2.2.3 मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। मंदिरों में भगवान के अधिकार को सर्वोच्च रखना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के

प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र की पुनर्स्थापना करना।

2.2.4 समस्त हिमालयी राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना तथा **Jammu & Kashmir** का पुनर्गठन कर उसे **2** केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना।

2.2.5 गो-हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर गाय, गंगा और रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। संविधान की प्रस्तावना में अवैध रूप से जोड़े गये सेक्यूलर और समाजवाद को हटाकर राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखना ।

2.2.6 वक्फ एक्ट, **Places of Worship Act** एवं सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना। संविधान के अनुच्छेद **30** को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना। समीक्षा कर सनातन संस्कृति एवं सभ्यता को हानि पहुंचाने वाले अनुच्छेद, कानून एवं धाराओं को निरस्त करना। लव जिहाद और धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना।

2.2.7 केवल विकास नहीं, अध्यात्म, संस्कृति, सही इतिहास, सामाजिक मूल्य, क्षेत्रीय भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास। भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अक्षुण्ण रखना और सेना एवं पुलिस का सशक्तिकरण व आधुनिकीकरण करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को

उचित सम्मान दिलाना।

अनुच्छेद - 2.3: पार्टी का आधार

पार्टी का आधार है राम राज्य की स्थापना तथा सनातन संस्कृति एवं सभ्यता का पुनरूत्थान और विकास।

धारा - 3: पार्टी के चिन्ह

अनुच्छेद-3.1: पार्टी का झंडा

पार्टी का झंडा आयताकार आकार का होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होगी। झंडे में तीन रंग होंगे, पीताम्बरी पीला (RGB: F2C32D), गहरा लाल (RGB: FF0000) और आसमानी नीला (RGB: 4676F3)। नीले आधार पे पीले रंग में बना गरुड़ का अर्ध भाग झंडे का लगभग 80% क्षेत्र को ढकेगा तथा उसका मुँह स्तंभ से विपरीत दिशा में होगा।

पीले भाग के ऊपर लाल रंग का सप्त-कोण होगा जिसकी एक भुजा आयत की चौड़ाई के समानांतर होगी। सप्त-कोण की सात भुजाएं पार्टी के सप्त-संकल्पों का दर्शाएगी।

सप्त-कोण के बीच में पार्टी का चुनाव चिन्ह कटा होगा।

एकम् का ध्वज तीन रंगों- नीला, लाल और पीले रंग से बना है। ध्वज में संकेत रूप में श्रीहरि के वाहन गरुड़ उपस्थित हैं। गरुड़ को पार्टी के संविधान में पार्टी के Emblem अर्थात प्रतीक चिह्न के रूप में सम्मिलित किया गया है। ध्वज पर स्थित गरुड़ ऊंचाई, वेग, लक्ष्य और आक्रामकता के प्रतीक हैं।

इस ध्वज में सनातन धर्म के शैव (नीला), वैष्णव (पीला), और शाक्त (लाल) संप्रदाय का मूल विचार छुपा हुआ है।

देवासुर-संग्राम में भगवान विष्णु के नीले-पीले-लाल रंग के ध्वज पर गरुड़ विद्यमान थे। उस युद्ध में भगवान ने कालनेमि का वध किया था। इस ध्वज के रंगों का संयोजन और इसमें छुपे गरुड़ का मूल विचार उसी संग्राम से लिया गया है।

इसके साथ, ध्वज में लाल रंग का सप्त-कोण पार्टी के सप्त-संकल्प को प्रकट करता है। सनातन धर्म में सात अंकों का बड़ा महत्व है, जैसे- सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, सप्त-समुद्र, सप्त-पदी, इंद्रधनुष के सप्त-रंग, संगीत के सात सुर, शरीर के अंदर सप्त-चक्र आदि।

अनुच्छेद-3.2: राष्ट्रीय कार्यालय

वर्तमान में पार्टी का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में होगा।

अनुच्छेद-3.3: चुनाव चिन्ह

पार्टी का चुनाव चिन्ह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित होगा।

अनुच्छेद-3.4: पार्टी का चिन्ह

पार्टी का चिन्ह गरुड़ होगा।

अनुच्छेद-3.5: पार्टी का गान

TBD

धारा - 4: पार्टी की सदस्यता

अनुच्छेद-4.1: सदस्यता और निष्कासन

1. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो भारतीय संविधान की धरा 2, 3 और 4 को स्वीकारता है, सदस्यता फार्म में (जो ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा) लिखित घोषणा करने पर और निर्धारित शुल्क देने पर पार्टी का सदस्य बन सकता है।
2. एकम् का सदस्य किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे पार्टी की सदस्यता से निष्कासित माना जाएगा।

अनुच्छेद-4.2: सदस्यता के प्रकार

1. पार्टी के सदस्यों के तीन प्रकार होंगे, **एकम् कार्यकर्ता**, **एकम् सहभागी सदस्य**, और **एकम् दानदाता**।
2. जो भी व्यक्ति पार्टी की ऑनलाइन या ऑफलाइन सदस्यता लेगा वो पार्टी का एकम् सहभागी सदस्य माना जाएगा।
3. कोई भी एकम् सहभागी सदस्य यदि चाहे तो पार्टी का एकम् कार्यकर्ता बनने के लिए पार्टी की किसी भी इकाई से संपर्क कर फॉर्म प्राप्त कर सकेगा।
4. किसी भी राज्य में एकम् कार्यकर्ता बनाने का अधिकार राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) अथवा प्रदेश महासचिव (संगठन) को होगा। किसी व्यक्ति की सदस्यता को लेकर किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन)

का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

5. सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद ही एकम् सहभागी सदस्य एकम् कार्यकर्ता बन पायेगा।

6. एकम् कार्यकर्ता के दो उप-प्रकार होंगे **एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता**, तथा **एकम् सक्रीय कार्यकर्ता**।

7. प्रत्येक सत्र के लिए सभी एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता के नामांकन फॉर्म ब्लॉक कार्यकारी समिति की अनुशंसा के साथ अग्रेषित किए जाएंगे। ब्लॉक कार्यकारी समिति द्वारा विचार कर इन्हे जिला अध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय को भेजेंगे। एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता के चयन पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय का जाएगा। जिला कार्यकारी समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय के निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकती है। स्वीकृत प्रपत्र जिला कार्यालय को वापस भेजे जाएंगे जहां ब्लॉक/वार्डवार सूची तैयार की जाएगी।

8. राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक या ग्राम स्तर पर टीमों, समितियों और प्रकोष्ठों में सभी पद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से ही भरे जाएंगे।

9. पार्टी में किसी भी स्तर पर कोई पद पाने के लिए एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता होना एक अनिवार्य शर्त होगी।

10. संस्थापक सदस्य (Founder Members) अपनी सदस्यता की तिथि से *3* वर्ष तक एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता बने रहेंगे।

11. एकम् सक्रीय कार्यकर्ता रैलियों, बैठकों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के दौरान जिम्मेदारियां साझा करेंगे।

12. प्रारंभिक सदस्य (Early Members) अपनी सदस्यता की तारीख से *1*

वर्ष तक एकम् सक्रीय कार्यकर्ता बने रहेंगे।

13. पार्टी के वो सदस्य जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन पार्टी की सदस्यता ली होगी परन्तु जो किसी भी प्रकार के कार्यकर्ता नहीं होंगे वह एकम् सहभागी सदस्य माने जाएंगे। वो यदि चाहें तो पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

14. एकम् दानदाता वह व्यक्ति होगा जिसने पार्टी को दान दिया होगा। एकम् दानदाता पार्टी का सदस्य या कार्यकर्ता भी हो सकता है।

15. किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सदस्यता देने का अंतिम अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय का होगा।

अनुच्छेद-4.3: सदस्यता शुल्क और उसका विभाजन

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर, सभी कार्यकर्ता तथा सहभागी सदस्य पार्टी के द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क पार्टी फण्ड में देंगे।

2. वार्षिक शुल्क या निर्धारित दस्तावेज़ न जमा करने की स्थिति में वरिष्ठ अथवा सक्रीय कार्यकर्ता सहभागी सदस्य माने जायेंगे।

3. सदस्यता से प्राप्त पूरा शुल्क पार्टी के केंद्रीय बैंक खाते में जमा होगा तथा हर तीन वर्ष बाद निम्नलिखित अनुपात में इकाइयों में विभाजित किया जायेगा:

केंद्र (राष्ट्रीय): 20%, प्रदेश: 20%, जिला: 20%, ब्लॉक/ग्राम: 40%

अनुच्छेद-4.4: सदस्यता का काल-खण्ड

सामान्यतः पार्टी की सदस्यता **6** वर्ष की होगी। मृत्यु, निष्कासन अथवा त्यागपत्र से सभी प्रकार की सदस्यता समाप्त हो सकेगी।

अनुच्छेद-4.5: सदस्य पंजिका/ सदस्य डेटा

1. सदस्य पंजिका तथा सभी सदस्यों के डाटा का स्वामित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय के पास होगा।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय सदस्यों के डाटा का रख-रखाव करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. प्रदेश अध्यक्ष अथवा प्रदेश महासचिव (संगठन) अपने प्रदेश के सदस्यों का डाटा राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय से मांग सकता है। डाटा मिलने पर उसकी सुरक्षा का संयुक्त दायित्व प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश महासचिव (संगठन) का होगा।
4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जिला कार्यकारिणी प्रदेश महासचिव (संगठन) के आदेश पर सदस्यों के डाटा को प्रमाणित करेगी। जिले के सदस्यों की प्रमाणित सदस्य पंजिका की एक प्रति जिला कार्यकारिणी के पास होगी तथा जिला कार्यकारिणी हर तीन महीने में अद्यतित सदस्य पंजिका प्रदेश महासचिव (संगठन) के माध्यम से प्रदेश तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साझा करनी होगी।
5. किसी भी राज्य के भीतर सभी सदस्य पंजिका को केंद्र से साझा करने का उत्तरदाईत्व प्रदेश महासचिव (संगठन)का होगा।
6. पार्टी का सदस्यता प्रपत्र केंद्र द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
7. सदस्यता प्रपत्र का प्रारूप राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर राष्ट्रीय

महासचिव (प्रशासन) तय करेंगे।

8. जिले में सदस्य बनाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः जिला तथा ग्राम/ब्लॉक इकाइयों का होगा। प्रदेश इकाईयां जिला तथा ग्राम/ब्लॉक इकाइयों को सदस्यता-प्रपत्र केंद्र से ले कर उपलब्ध करायेंगी।

धारा - 5: प्रदेशों का श्रेणीकरण

अनुच्छेद-5.1: प्रदेश इकाइयां

भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्रों के अनुरूप ही पार्टी की प्रदेश इकाइयों का संगठन होगा। प्रदेश महासचिव (संगठन) यदि चाहे तो प्रदेश अध्यक्ष की सहमति तथा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) की अनुमति से महानगर क्षेत्रों अथवा किसी विशिस्ट क्षेत्र के लिए प्रदेश इकाइयों के अंतर्गत क्षेत्रीय समितियों का गठन कर सकते हैं। इन समितियों के अधिकार तथा कार्य प्रदेश महासचिव (संगठन) प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से निर्धारित करेंगे।

केंद्र-शासित क्षेत्रों की सभी इकाइयां बिना किसी अध्यक्ष के सीधे राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) को रिपोर्ट करेंगी।

धारा - 6: राष्ट्रीय कार्यकारिणी

अनुच्छेद-6.1: संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका कार्यकाल

पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तब वो स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ देते या उनका देहावसान नहीं हो जाता।

अनुच्छेद-6.2: राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एवं कार्यकाल

1. संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमे राष्ट्रीय परिषद की धारा (6)(6.3)(3)एवं (5) में वर्णित सदस्य शामिल होंगे।
3. चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कराया जाएगा।
4. राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति हो सकेगा जो कम-से-कम 5 वर्षों तक लगातार एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रेणी का सदस्य रहा होगा।
5. कोई पात्र सदस्य 6-6 वर्ष लगातार (अधिकतम) तीन कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रह सकेगा।

अनुच्छेद-6.3: कार्यकारिणी का गठन

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) तथा राष्ट्रीय

कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के साथ मिल कर अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के एक माह के भीतर, अधिकतम 1 राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) (NGS(O)), अधिकतम 1 राष्ट्रीय महासचिव (प्रशाशन), अधिकतम 1 राष्ट्रीय महासचिव (राजनीति) मनोनीत करेंगे।
3. राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा NGS(O) की संयुक्त सहमति से राष्ट्रीय कार्यकारणी का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतम 151 सदस्य होंगे।
4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद के लिए एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रेणी से ही कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। किसी भी समिति या प्रकोष्ठ में शामिल होने अथवा पदभार पाने के लिए एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता होना एक अनिवार्य शर्त है।
5. राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा NGS(O) की संयुक्त सहमति से राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्यों में से अधिकतम 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अधिकतम 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अधिकतम 24 राष्ट्रीय सचिव, अधिकतम 3 राष्ट्रीय सह सचिव को मनोनीत किया जाएगा।
6. राष्ट्रीय स्तर (जिसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में होगा) की किसी भी समिति अथवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारणी का सदस्य होना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति या प्रकोष्ठ के अन्य सदस्यों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद-6.4: राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और उनके कार्य एवं दायित्व

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष

क) संबंधित समिति या प्रकोष्ठ की बैठकों की अध्यक्षता करना।

ख) अपनी समिति/कार्यकारिणी में संविधान के अनुसार सदस्यों / पदाधिकारियों को नामांकित करना।

ग) समिति/कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच कार्य और कर्तव्यों का आवंटन करना।

घ) आपातकालीन स्थिति में अपनी समिति/कार्यकारिणी की किसी भी शक्ति का प्रयोग करना, जब वह सत्र में न हो, बशर्ते कि ऐसी किसी भी कार्रवाई को उसकी अगली बैठक में कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित करना होगा।

ङ) समिति/कार्यकारी बैठक की तारीख तय करना और पार्टी संविधान के नियमों के अनुसार बैठक बुलाना।

च) पार्टी के विभिन्न अन्य समूहों के लिए अध्यक्षों/संयोजकों की नियुक्ति करना और उनके कामकाज का समन्वय करना।

छ) समिति/कार्यकारी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता अध्ययन शिविरों और सम्मेलनों का संचालन करना।

ज) पार्टी की संगठनात्मक और रचनात्मक गतिविधियों और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में समिति/कार्यकारी का मार्गदर्शन करना।

झ) विभिन्न स्तर के अध्यक्ष स्वयं निम्नलिखित राशि तक व्यय करने हेतु अधिकृत होंगे।

- ब्लॉक/वार्ड अध्यक्ष (अथवा उस स्तर की समिति/प्रकोष्ठ) - 2000/- प्रति माह
- जिला अध्यक्ष (अथवा उस स्तर की समिति/प्रकोष्ठ) - 4000/- प्रति माह
- राज्य अध्यक्ष (अथवा उस स्तर की समिति/प्रकोष्ठ) - 6000/- प्रति माह
- केंद्रीय समिति/प्रकोष्ठ अध्यक्ष - 6000/- प्रति माह

- केन्द्रीय अध्यक्ष - वास्तविक ।

यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में, अधिकृत राशि से अधिक राशि खर्च की जाती है, तो संबधित समिति/कार्यकारी की अगली बैठक में इसकी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा (सभी खर्च उचित बिल प्रस्तुत करने के बाद अनुमोदित किए जाएंगे)।

2. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

क) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित जिम्मेदारी का वहन करना।

ख) राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस उपाध्यक्ष को लिखित रूप से निर्देशित करेगा वह बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि कोई निर्देश न हो, तो कार्यकारिणी/समिति किसी उपाध्यक्ष को अथवा सभी उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर सकती हैं ।

ग) राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा।

2. राष्ट्रीय महासचिव (संगठन)

क) राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्श से पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।

ख) पार्टी का विस्तार करना और सदस्यता अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करना।

ग) देश में संगठन का निर्माण करना, तथा सही कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें पार्टी से जोड़ना।

घ) चुनाव के लिए सही उम्मीदवारों की पहचान करना उन्हें पार्टी में शामिल कराना।

ङ) पार्टी हित में विभिन्न बैठकें करना और बैठक की रिपोर्ट से राष्ट्रीय

अध्यक्ष को अवगत कराना।

च) विभिन्न पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

छ) राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया टीम को पार्टी लाईन से सम्बन्धित दिशा निर्देश देना और उनकी बैठकें लेना

ज) राष्ट्रीय अध्यक्ष और समिति/कार्यकारी के निर्णयों को क्रियान्वित करना।

3. राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन)

क) राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना।

ख) राष्ट्रीय कार्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना /कराना और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त कराना/कराना ।

ग) पार्टी के लिए फंड अभियान का नेतृत्व करना/कराना।

घ) धरना-प्रदर्शन आदि के कानूनी पहलुओं को देखना और उसका निराकरण करना/कराना।

ङ) RTI व PIL जैसे दायित्वों को पूरा करना/कराना।

च) राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महा सचिव एवं केंद्र के सभी पदाधिकारियों को उचित प्रशासनिक सलाह एवं संसाधन उपलब्ध कराना।

छ) केंद्र के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को झंडा, बैनर, स्टेशनरी एवं अन्य प्रचार सामग्री व अन्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना/कराना।

ज) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संगठन महा सचिव से सलाह और संस्तुति के उपरांत केंद्रीय कार्यालयों के लिए वैतनिक/अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

झ) निर्धारित दायित्व संबंधित बैठकें करना और बाद में उससे प्रदेश

अध्यक्ष को अवगत कराना।

4. राष्ट्रीय महासचिव (राजनीति)

क) राजनीतिक व प्रभावशाली लोगों की पहचान करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं *NGS(O)* से उनकी मुलाकात सुनिश्चित करना/कराना।

ख) विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना और उसके अनुसार अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष योजना प्रस्तुत करना।

ग) पार्टी में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी जुटाना ताकि कोई पार्टी विचारधारा के विरुद्ध वाला व्यक्ति पार्टी में सम्मिलित न हो सके। यदि इसके पश्चात भी ऐसा कोई व्यक्ति पार्टी से जुड़ता है तो उसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष तथा *NGS(O)* को देना ।

घ) देश भर की पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों पर समय-समय पर (लगभग हर सप्ताह) रिपोर्ट तैयार कर उसे अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।

ङ) राजनीतिक विमर्श को अपनी ओर मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना।

च) मीडिया टीम व सोशल मीडिया की टीम और प्रवक्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहना और आवश्यकतानुसार उन्हें चल रही राजनीतिक गतिविधियों से अपडेट करना।

छ) समय-समय पर ऊपर दिए गए कार्यों से संबंधित मीटिंग बुलाना।

ज) निर्धारित दायित्व संबंधित बैठकें करना और बाद में उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराना।

5. राष्ट्रीय सचिव

क) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं NGS(O) द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना तथा उनके कार्यों में सहयोग देना।

4. राष्ट्रीय संयुक्त सचिव

क) सभी महासचिवों, सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा महासचिवों के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यों और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।

5. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

क) पूरे आय-व्यय का ब्यौरा रखना।

ख) सभी प्रदेश कोषाध्यक्षों से आय-व्यय का ब्यौरा लेना तथा उसका रिकार्ड रखना।

ग) चंदे की रसीदों का लेखा-जोखा प्रति माह प्रदेश कोषाध्यक्षों से लेना तथा उसका रिकार्ड रखना।

6. प्रदेश प्रभारी

क) राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से हर राज्य का एक प्रभारी नियुक्त करेंगे।

ख) प्रदेश प्रभारी राज्य में चल रही गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट *NGS(O)* को देंगे।

ग) प्रदेश प्रभारी का अधिकतम कार्यकाल *3* वर्ष का होगा परन्तु *NGS(O)* राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश प्रभारी को बीच में भी बदल सकते हैं।

घ) प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से राज्य की कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अनुच्छेद-6.5: केंद्र की समितियां और प्रकोष्ठ

1. राष्ट्रीय संत प्रकोष्ठ

क) संत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

ख) संत प्रकोष्ठ में केवल साधु-संत-सन्यासी ही होंगे।

ग) संत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीधे *NGS(O)* को रिपोर्ट करेंगे।

2. राष्ट्रीय अनुशासन समिति

क) अनुशासन समिति में कम से कम 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है जिसमें से कम से एक महिला होना अनिवार्य है।

ख) केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष NGS(O) होंगे।

ग) अनुशासन समिति NGS(O) द्वारा बनाये गए 'कोड ऑफ़ कंडक्ट' के अनुरूप कार्य करेगी।

3. केंद्र की अन्य समितियां और प्रकोष्ठ

क) केंद्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा, जैसे की न्यायिक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, आदि।

ख) इन प्रकोष्ठों और समितियों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है।

ग) सभी प्रकोष्ठों और समितियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष, NGS(O) अथवा उनके द्वारा नियुक्त केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

घ) हर इकाई का एक प्रभारी (अध्यक्ष या प्रमुख) नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य इकाई के सभी सदस्यों को दिशा निर्देश देना, बैठकें करना और उनके कार्य और ज़िम्मेदारियाँ तय करना होगा।

ङ) अपनी इकाई के सभी कार्यों का ब्योरा रखना एवं उन्हें केंद्रीय पदाधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत करना उस इकाई के प्रभारी/प्रमुख/अध्यक्ष

का दायित्व होगा।

च) सभी इकाइयां पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होंगी एवं उसका अपने हर एक कार्य में प्रस्तुतीकरण करेंगी।

धारा - 7: राज्य की संचालन समिति, कार्यकारिणी तथा केंद्र-राज्य समायोजन

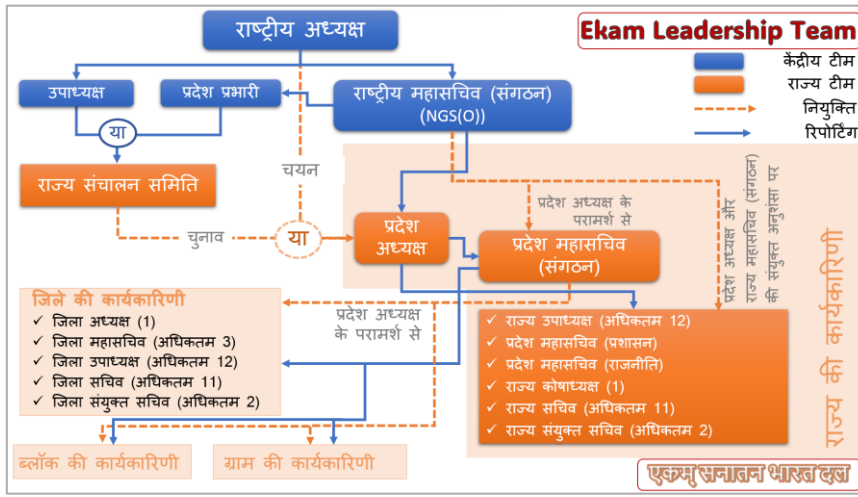

अनुच्छेद-7.1: राज्य की इकाइयां

1. राज्य की संचालन समिति और राज्य की कार्यकारिणी दो अलग इकाई होंगी। राज्य की संचालन समिति उच्च सदन की तरह काम करेगी और राज्य की कार्यकारिणी निम्न सदन की तरह कार्यरत रहेगी।
2. राज्य की किसी भी इकाई में पद के लिए एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रेणी से ही कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। किसी भी समिति या प्रकोष्ठ में शामिल होने अथवा पदभार पाने के लिए एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता होना एक अनिवार्य शर्त है।
3. जो सदस्य राज्य की संचालन समिति में हैं, वो राज्य की कार्यकारिणी अथवा जिले, प्रखंड या ग्राम की किसी भी कार्यकारिणी में कोई पद नहीं लेंगे। किसी भी कार्यकारिणी में कोई भी पद ग्रहण करते ही उन्हें

संचालन समिति से बाहर माना जाएगा।

4. यदि किसी सदस्य के पास एक राज्य में कोई पद है तो वह किसी अन्य राज्य में कोई पद धारण नहीं कर सकता है। आपातकालीन परस्तिथि में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सलाहकार परिषद की अनुशंसा पर या स्वत: निर्णय लेते हुए ऐसी नियुक्तियां कर सकते हैं।

अनुच्छेद-7.2: राज्य की संचालन समिति

1. सभी संस्थापक सदस्य उनकी सदस्यता लेने से लेकर अगले 3 वर्ष तक अपने राज्य की संचालन समिति के सदस्य बने रहेंगे। इस बीच उन्हें निकालने का अधिकार एक मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा, जो केंद्रीय अनुशासन समिति की संस्तुति पर संस्थापक सदस्य को संचालन समिति से निष्कासित कर सकते हैं।
2. किसी भी राज्य की संचालन समिति में अधिकतम 1200 सदस्य हो सकते हैं । इस समिति में राज्य की हर विधान सभा का कम से कम एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य है।
3. राज्य की संचालन समिति कभी भंग नहीं होगी, उसके सदस्य समय-समय पर अपडेट होते रहेंगे।
4. निष्क्रिय सदस्यों को हटाने और सक्रिय सदस्यों को जोड़ने के लिए संचालन समिति की सूची को हर एक वर्ष में अपडेट किया जाएगा।
5. राज्य की संचालन समिति को अपडेट करने के लिए राज्य की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय को हर वर्ष संचालन समिति की संशोधित सूची भेजेगी। सदस्यों की पूरी पड़ताल कर उन नामों को शामिल करने अथवा न करने का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय का होगा। आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय द्वारा संचालन

समिति को एक वर्ष से पहले भी अपडेट किया जा सकता है।

6. राज्य में किसी बड़े वित्तीय निर्णय लेने अथवा किसी विषय पर अनिर्णय की स्थिति होने पर प्रदेश अध्यक्ष संचालन समिति की बैठक आयोजित करेगा, जिसमें बहुमत से लिए गए निर्णय को मानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी बाध्य होगी।
7. राज्य की संचालन समिति का कोई निर्णय चाहे बहुमत से ही क्यों न लिया गया हो, उसे निरस्त करने का एक मात्र अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा।
8. प्रदेश की संचालन समिति की अध्यक्षता उस प्रदेश के राज्य प्रभारी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी किसी राज्य की संचालन समिति की अध्यक्षता का दायित्व दे सकते हैं, इस परिस्थिति में नियुक्त उपाध्यक्ष ही समिति की अध्यक्षता करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
9. राज्य की संचालन समिति में सदस्यों की नियुक्ति एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रेणी से होगी।

अनुच्छेद-7.3: राज्य की कार्यकारिणी

1. प्रदेश अध्यक्ष (1), प्रदेश उपाध्यक्षों (अधिकतम 12), प्रदेश महासचिवों (अधिकतम 3), प्रदेश कोषाध्यक्ष (1), प्रदेश सचिवों (अधिकतम 11) एवं प्रदेश संयुक्त सचिवों (अधिकतम 2) को मिलाकर राज्य की मुख्य कार्यकारिणी (अधिकतम 30) बनती हैं।
2. प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति से प्रदेश महासचिव (संगठन) की नियुक्ति राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) (NGS(O)) करेंगे। तत्पश्चात, प्रदेश अध्यक्ष

तथा प्रदेश महासचिव (संगठन) की संयुक्त संस्तुति से शेष पदों की नियुक्ति NGS(O) के द्वारा की जाएगी।

3. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव या प्रदेश कार्यकारिणी के बीच असहमति की स्थिति में मामला NGS(O) के पास जाएगा और उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
4. राज्य की कार्यकारिणी के गठन के तीन माह के भीतर जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर राज्य के समान कार्यकारिणीयों का गठन करना अनिवार्य होगा।
5. जिला, प्रखंड और ग्राम समितियों का गठन भी उस क्षेत्र के एकम् वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से ही किया जाएगा।
6. विधानसभा या लोकसभा के उम्मीदवारों का चयन राज्य की संस्तुति पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उम्मीदवारों की संस्तुति करने का संयुक्त दायित्व मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश महासचिव (संगठन) का होगा, परन्तु राज्य का कोई भी पदाधिकारी अथवा कोई भी सदस्य किसी भी उम्मीदवार की संस्तुति NGS(O) को सीधे भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। उम्मीदवारों के चयन का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, जिसके लिए NGS(O) अथवा चुनाव के लिए गठित सलाहकार परिषद राज्यों से आए नाम का परीक्षण कर उन्हें संस्तुति भेजेगी।
7. यदि राज्य की कार्यकारिणी निष्क्रिय रहती है अथवा प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कारण से काम करने में असमर्थ हो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले आदेश तक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर अथवा उसे बिना हटाए एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते है जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष की पूरी शक्तियां होंगी और वह सीधे NGS(O) को रिपोर्ट करेगा। ऐसा होने पर कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश की कार्यकारिणी

अथवा राज्य की संचालन समिति की अनुमति या संस्तुति के बिना आवश्यकतानुसार पदों पर नियुक्ति, बैठक का आयोजन, उम्मीदवारों का चयन, चुनाव का संचालन, उससे संबंधित वित्तीय निर्णय आदि का निर्धारण NGS(O) से अनुमति लेकर स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्य की संचालन समिति और पूरी कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस नियम की अवहेलना पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर उसके द्वारा की गई सभी नियुक्तियां स्वतः ही निरस्त मानी जाएंगी।

8. यदि किसी भी कारण से किसी प्रदेश में अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है (प्रदेश अध्यक्ष के त्यागपत्र अथवा उसके हटाये जाने पर अथवा किसी अन्य कारण से) तो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक उस प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी अपने प्रदेश महासचिव (संगठन) के माध्यम से सीधे NGS(O) को रिपोर्ट करेगी।

9. यदि किसी भी कारण से किसी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव (संगठन) दोनों का ही पद रिक्त हो जाता है तो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक उस प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी सीधे NGS(O) को रिपोर्ट करेगी।

10. राज्य की कार्यकारिणी 3 वर्ष के लिए गठित होगी, परन्तु राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर NGS(O) उसकी अवधि कम या अधिक कर सकते हैं। यदि प्रदेश अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी निष्क्रिय, अथवा पार्टी को ठप्प करने, अथवा पालिसी पैरालिसिस के शिकार, अथवा पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर NGS(O) प्रदेश अध्यक्ष को अथवा प्रदेश के किसी

पदाधिकारी को निष्कासित कर सकते हैं अथवा तय अवधि से पूर्व राज्य की कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन भी कर सकते हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी भंग होते ही जिला, प्रखंड, ग्राम स्तर की सभी कार्यकारिणी, सभी समितियाँ तथा सभी प्रकोष्ठ भी भंग माने जाएंगे। इस परिस्थिति में नई कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर NGS (O) कर सकते हैं ।

11. यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के एक माह के भीतर अपने प्रदेश महासचिव (संगठन) की संस्तुति नहीं भेजता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश से NGS(O) उस राज्य के प्रदेश महासचिव (संगठन) की नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। वह नियुक्ति सभी को मान्य होगी।

12. यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष और उसका प्रदेश महासचिव (संगठन) मिलकर प्रदेश महासचिव (संगठन) की नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रदेश की न्यूनतम कार्यकारिणी (1 कोषाध्यक्ष, कम से कम 1 सचिव, तथा कम से कम 1 उपाध्यक्ष) की नियुक्ति के लिए कोई संस्तुति केंद्र को नहीं भेजते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर NGS(O) उस राज्य की कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र होगा तथा वे नियुक्तियाँ सभी को मान्य होंगी।

13. जिला से लेकर पंचायत तक की सारी कार्यकारिणी, प्रकोष्ठ और समितियां सीधे राज्य महासचिव (संगठन) को रिपोर्ट करेंगी। राज्य की कार्यकारिणी, प्रकोष्ठ और समितियों से संबन्धित कोई भी बड़ा निर्णय महासचिव (संगठन) प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से करेंगे।

14. यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष त्यागपत्र देता है, तो नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए उसके द्वारा NGS(O) को मनोनीत किये गए उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में अंतिम निर्णय

राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही माना जाएगा।

अनुच्छेद-7.4: राज्य की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व

1. प्रदेश अध्यक्ष

क) राज्य के अध्यक्ष का चयन मतदान अथवा सीधे केंद्र द्वारा नियुक्ति, दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से होगा। यदि चुनाव होगा तो संचालन समिति के सभी सदस्य मतदान के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और यदि सीधे नियुक्ति होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव उस राज्य की संचालन समिति से परामर्श कर अध्यक्ष का चयन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा अथवा सीधे नियुक्ति होगी, यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। तात्कालिक परिस्थितियों को अनुसार अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जा सकते है।

ख) अपनी नियुक्ति अथवा चयन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन महासचिव का चयन कर उसकी संस्तुति NGS(O) को भेजेगा। NGS(O) के द्वारा प्रदेश महासचिव (संगठन) की नियुक्ति होने के बाद से 15 दिन के भीतर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव (संगठन) मिलकर अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे और संस्तुति के लिए NGS(O) को भेजेंगे। NGS(O) द्वारा नियुक्ति की तिथि से ही कार्यकारिणी सक्रिय मानी जाएगी।

ग) दिशा निर्देशों के अनुसार अपने राज्य के संगठन महासचिव के परामर्श से राज्य की समितियों और प्रकोष्ठों को मनोनीत करना।

घ) विभिन्न पदाधिकारियों, समितियों, प्रकोष्ठों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का विभाजन करना।

ङ) सम्बन्धित समिति अथवा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

च) प्रदेश अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में समितियों/कार्यकारिणी की ओर से निर्णय ले सकते हैं, परन्तु लिए गए निर्णय पर अगली बैठक में अपनी कार्यकारिणी के बहुमत से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

छ) राज्य की मीडिया/सोशल मीडिया गतिविधियों में भाग लेना या इसके लिए अपने राज्य से किसी पदाधिकारी को मनोनीत करना।

ज) अपने राज्य की समितियों/ कार्यकारिणी की नियमित बैठक बुलाना और उनके प्रश्नों का उत्तर देना तथा उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करना।

झ) राज्य की विभिन्न इकाइयों के प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों का चयन राज्य संगठन महासचिव के साथ मिलकर करना और उनकी नियुक्ति के लिए संस्तुति देना।

ञ) प्रदेश के जिला, तहसील और ग्रामीण स्तर तक प्रदेश के समान ही कार्यकारिणी का निर्माण राज्य के संगठन महासचिव के साथ मिलकर करना। प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति पर इन सभी का नियुक्ति पत्र राज्य के संगठन महासचिव के नाम से जारी होगा।

ट) प्रदेश में किसी भी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव के बीच आपस में सहमति न होने पर दोनों इस मुद्दे को NGS(O) के पास लाएंगे, और NGS(O) का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

2. प्रदेश महासचिव (संगठन)

क) प्रदेश अध्यक्ष के परामर्श से पूरे राज्य में पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।

ख) राज्य में पार्टी का विस्तार करना और सदस्यता अभियान को संचालित करना।

ग) राज्य में संगठन का निर्माण करना, तथा सही कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें पार्टी से जोड़ना।

घ) चुनाव के लिए सही उम्मीदवारों की पहचान करना उन्हें पार्टी में शामिल कराना।

पार्टी हित में विभिन्न बैठकें करना और हर बैठक की रिपोर्ट से प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराना।

ङ) विभिन्न पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

च) महत्त्वपूर्ण विषयों पर *NGS(O)* को सीधे रिपोर्ट करना।

छ) प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया टीम को पार्टी लाईन से सम्बन्धित दिशा निर्देश देना और उनकी बैठकें लेना।

2. प्रदेश महासचिव (प्रशासन)

क) प्रदेश कार्यालय के प्रभारी के रूप में राज्य के सभी प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना।

ख) प्रदेश में कार्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त कराना।

ग) पार्टी के लिए फंड अभियान का नेतृत्व करना/कराना।

घ) धरना-प्रदर्शन आदि के कानूनी पहलुओं को देखना और उसका निराकरण करना/कराना।

ङ) *RTI* व *PIL* जैसे दायित्वों को पूरा करना/कराना।

च) प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महा सचिव एवं राज्य के सभी पदाधिकारियों को उचित प्रशासनिक सलाह एवं संसाधन उपलब्ध कराना।

छ) राज्य के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को झंडा, बैनर, स्टेशनरी एवं अन्य प्रचार सामग्री व अन्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना/कराना।

ज) प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन महा सचिव से सलाह और संस्तुति के उपरांत प्रदेश भर के कार्यालयों के लिए वैतनिक/अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

झ) निर्धारित दायित्व संबंधित बैठकें करना और बाद में उससे प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराना।

ञ) प्रदेश के कार्यकर्ताओं, सदस्यों, और दानदाताओं सहित सभी तरह के डाटा संग्रह और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रदेश महासचिव (प्रशासन) की होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय के अतिरिक्त वह किसी भी प्रकार का संपूर्ण डाटा किसी को भी नहीं देंगे।

3. प्रदेश महासचिव (राजनीति)

क) प्रदेश भर के राजनीतिक व प्रभावशाली लोगों की पहचान करना और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महा सचिव एवं *NGS(O)* से उनकी मुलाकात सुनिश्चित करना/कराना।

ख) विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना और उसके अनुसार अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष योजना प्रस्तुत करना।

ग) पार्टी में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी जुटाना ताकि कोई पार्टी विचारधारा के विरुद्ध वाला व्यक्ति पार्टी में सम्मिलित न हो सके। यदि इसके पश्चात भी ऐसा कोई व्यक्ति पार्टी से जुड़ता है तो उसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष तथा *NGS(O)* को देना ।

घ) प्रदेश की पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों पर समय-समय पर (लगभग हर सप्ताह) रिपोर्ट तैयार कर उसे अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।

ङ) राजनीतिक विमर्श को अपनी ओर मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना।

च) राज्य की मीडिया टीम व सोशल मीडिया की टीम और प्रवक्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहना और आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से अपडेट करना।

छ) समय-समय पर ऊपर दिए गए कार्यों से संबंधित मीटिंग बुलाना।

ज) निर्धारित दायित्व संबंधित बैठकें करना और बाद में उससे प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराना।

4. प्रदेश उपाध्यक्ष

क) प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देशित जिम्मेदारी का वहन करना।

ख) प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जिस उपाध्यक्ष को

लिखित रूप से निर्देशित करेगा वह बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि कोई निर्देश न हो, तो कार्यकारिणी/समिति किसी उपाध्यक्ष को अथवा सभी उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर सकती हैं ।

ग) प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा।

5. प्रदेश सचिव

क) अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना तथा उनके कार्यों में सहयोग देना।

6. प्रदेश संयुक्त सचिव

क) सभी महासचिवों, सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा महासचिव के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यों और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।

7. प्रदेश कोषाध्यक्ष

क) राज्य के आय-व्यय का ब्यौरा रखना।

ख) जिला, तहसील, ग्रामीण स्तर तक के आय-व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा एवं उसकी रिपोर्ट प्रति माह प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।

ग) प्रत्येक माह पूरे राज्य की आय-व्यय की रिपोर्ट केन्द्रीय कोषाध्यक्ष को भेजना।

घ) चंदे की रसीदों का लेखा-जोखा प्रति माह केंद्रीय कोषाध्यक्ष को देना।

अनुच्छेद-7.5: राज्य की समितियां और प्रकोष्ठ

1. प्रदेश अनुशासन समिति

क) प्रदेश की अनुशासन समिति में कम से कम 5 सदस्यों का होना अनिवार्य है जिसमें से कम से कम दो महिलाएं होना अनिवार्य है।

ख) अनुशासन समिति के प्रमुख की नियुक्ति होनी चाहिए।

ग) अनुशासन समिति NGS(O) द्वारा निर्धारित किये गए कोड ऑफ़ कंडक्ट के अनुरूप कार्य करे।

घ) अनुशासन समिति, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने के बाद अपना निर्णय लिखित रूप में राज्य एवं केंद्रीय अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसपर केंद्रीय अनुशासन समिति का निर्णय सभी को मान्य होगा।

2. मीडिया, सोशल मीडिया एवं जनसंपर्क समिति

क) इस समिति का मुख्य कार्य पार्टी की विचारधारा को जन-संचार माध्यमों के जरिये जनता के बीच ले जाना है।

ख) इसके लिए विभिन्न प्रवक्ताओं / प्रभारियों की नियुक्तियां की जाएंगी, जैसे की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रवक्ता, प्रिंट मीडिया प्रवक्ता, सोशल मीडिया प्रभारी, जनसंपर्क प्रभारी, चुनाव प्रचार अभियान प्रभारी, आदि।

ग) राज्य के कार्य के हिसाब से इन प्रवक्ताओं / प्रभारियों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है।

घ) पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं *NGS(O)* के आधिकारिक हैंडल / पेज / प्रोफाइल / अन्य आधिकारिक सोशल अकाउंट पर नजर रखना और वहां से निर्देश लेना। केंद्र के किसी भी ऑनलाइन / ऑफलाइन अभियान में तत्परता से भाग लेना और राज्य में उसे सुचारु रूप से चलाना इस समिति

का दाइत्व होगा।

ङ) पार्टी की विचारधारा या किसी पदाधिकारी के विरोध में किसी भी तरह का बयान, पोस्ट, आदि देने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई हो सकती है। ऐसा पाए जाने पर केंद्रीय अनुशासन समिति सीधे कार्यवाही कर सकती है जो सभी को मान्य होगी।

च) सोशल मीडिया पर जो भी लिखें वो केंद्र द्वारा बनाये गए दिशानिर्देशों और गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए।

3. प्रदेश की अन्य समितियां और प्रकोष्ठ

क) प्रदेश के स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा, जैसे की न्यायिक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, आदि।

ख) इन प्रकोष्ठों और समितियों की संख्या राज्य के हिसाब से और भी बढ़ाई जा सकती है।

ग) सभी प्रकोष्ठों और समितियों को प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

घ) हर इकाई का एक प्रभारी (या प्रमुख) नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य इकाई के सभी सदस्यों को दिशा निर्देश देना, बैठकें करना और उनके कार्य और ज़िम्मेदारियाँ तय करना होगा।

ङ) अपनी इकाई के सभी कार्यों का ब्योरा रखना एवं उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मुख प्रस्तुत करना उस इकाई के प्रभारी / प्रमुख का दायित्व होगा।

च) सभी इकाइयां पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होंगी एवं उसका अपने हर एक कार्य में प्रस्तुतीकरण करेंगी।

अनुच्छेद-7.6:

2. प्रदेश की नियुक्तियां

क) इस दस्तावेज़ में दिए गए पदों के अलावा प्रदेश में कोई भी अन्य पद सृजित करने से पहले *NGS(O)* की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

3. सदस्यों का आचरण

क) पार्टी के सभी सदस्यों का आचरण कोड ऑफ़ कंडक्ट (संविधान धारा - 11) के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा न होने पर केंद्रीय अनुशासन समिति सम्बंधित सदस्यों पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। समिति का निर्णय सभी को मान्य होगा।

धारा - 8: बैठकें

1. पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यतः कम से कम निम्नलिखित अवधि पर होगी:
   - राष्ट्रीय कार्यकारिणी - तीन महीने में एक बार।
   - केंद्रीय समिति / प्रकोष्ठ - दो महीने में एक बार।
   - राज्य की संचालन समिति - तीन महीने में एक बार।
   - राज्य की कार्यकारिणी - दो महीने में एक बार।
   - राज्य की समिति / प्रकोष्ठ - दो महीने में एक बार।
   - जिला कार्यकारिणी - एक महीने में एक बार।
   - जिला की समिति / प्रकोष्ठ - एक महीने में एक बार।
   - ग्राम/ब्लॉक कार्यकारिणी - एक महीने में एक बार।
   - ग्राम/ब्लॉक की समिति / प्रकोष्ठ - एक महीने में एक बार।

2. जिला, ग्राम या ब्लॉक स्तर की इकाई की बैठक तीन महीने में एक बार भी न होने पर उक्त इकाई को भंग किया जा सकेगा। इस स्तर की निष्क्रिय इकाई को स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद, भंग करने का अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी को होगा। प्रदेश महासचिव (संगठन) प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति पर भंग इकाई का काम चलाने के लिए तदर्थ व्यवस्था करेंगे। सामान्यतः तदर्थ व्यवस्था के छ: माह की अवधि में उस इकाई का पुनः गठन किया जाएगा, ऐसा न होने पर छ: माह पश्चात नयी तदर्थ व्यवस्था करनी होगी।
3. प्रदेश स्तर की इकाई की बैठक छ: महीने में एक बार भी न होने पर उक्त इकाई को भंग किया जा सकेगा। इस स्तर की निष्क्रिय इकाई को स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद, भंग करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति पर NGS(O) को होगा। NGS(O) राष्ट्रीय अध्यक्ष

की संस्तुति पर भंग इकाई का काम चलाने के लिए तदर्थ व्यवस्था करेंगे। सामान्यतः तदर्थ व्यवस्था के छ: माह की अवधि में उस इकाई का पुनः गठन किया जाएगा, ऐसा न होने पर छ: माह पश्चात नयी तदर्थ व्यवस्था करनी होगी।

4. केंद्रीय इकाई की बैठक छ: महीने में एक बार भी न होने पर उक्त इकाई को भंग किया जा सकेगा। इस स्तर की निष्क्रिय इकाई को स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद, भंग करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भंग इकाई का काम चलाने के लिए तदर्थ व्यवस्था करेंगे। सामान्यतः तदर्थ व्यवस्था के छ: माह की अवधि में उस इकाई का पुनः गठन किया जाएगा, ऐसा न होने पर छ: माह पश्चात नयी तदर्थ व्यवस्था करनी होगी।
5. अपनी इकाई की बैठक से लगातार तीन से अधिक बार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को सम्बंधित इकाई की बैठक में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
6. किसी भी इकाई की बैठक के लिए उस इकाई की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई अथवा *10,* जो भी काम हो, गणपूर्ति होगा।
7. बैठकों के लिए सूचना

	आम बैठक	**आपातकालीन बैठक**
ग्राम / ब्लॉक इकाई	5 दिन	2 दिन
जिला इकाई	5 दिन	2 दिन
प्रदेश इकाई	10 दिन	5 दिन
राष्ट्रीय इकाई	20 दिन	10 दिन

धारा - 9: पार्टी फण्ड

अनुच्छेद-9.1: दान संग्रह तथा केंद्र-राज्य समायोजन

1. पार्टी का एक बैंक खाता केंद्र के स्तर पर खोला जाएगा तथा एक-एक बैंक खाता हर राज्य में खोला जाएगा।
2. केंद्रीय बैंक खाते में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन) के हस्ताक्षर मान्य होंगे तथा कोई भी धन राशि निकालने के लिए इनमें से कम से कम 2 की स्वीकृति होना अनिवार्य होगा।
3. हर राज्य में पार्टी का केवल एक बैंक खाता होगा जिसके संचालन का संयुक्त दायित्व प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश महासचिव (प्रशासन) का होगा।
4. राज्य के खाते से पैसे निकालने के लिए काम से काम दो लोगों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, इस में से एक कोषाध्यक्ष और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव (प्रशासन) में से कोई एक होगा। इस प्रोटोकॉल के विषय में केंद्रीय कोषाध्यक्ष एवं संबंधित बैंक को भी प्रदेश कोषाध्यक्ष द्वारा सूचित करना आवश्यक है।
5. कोई भी दान लेते समय दान लेने वाले सदस्य को इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय किये नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने वाले पर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है।
6. चंदे की रसीद बुक को केंद्र के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य को इसे छापने का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. चंदे की रसीद पुस्तकों का प्रारूप राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर

राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन) निर्धारित करेंगे।

8. प्रत्येक रसीद क्रमांकित होगी तथा 50 रसीदों की पुस्तक में जारी की जायेगी।
9. प्रदेश के किसी भी नेता, पदाधिकारी अथवा सदस्य को मिली हुई *daan* राशि अथवा भेंट का ब्यौरा प्रदेश कोषाध्यक्ष के माध्यम से हर माह (अथवा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा तय की गयी आवृत्ति पर) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को देना होगा।
10. राज्य के कोषाध्यक्ष को राज्य की रसीदों का अथवा राज्य के आय-व्यय की जानकारी हर माह (अथवा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा तय की गयी आवृत्ति पर) केंद्रीय कोषाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।
11. यदि कोई सदस्य मिली हुई *daan rashi* भेंट का ब्यौरा पार्टी को नहीं देता हैं या अन्य किसी वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक अथवा कानूनी अथवा दोनों कार्यवाही करने के लिए पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति स्वतंत्र होगी।
12. केंद्र के खाते में मिली हुई दान राशि पर राज्य का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
13. प्रदेश के पदाधिकारी या सदस्यों के माध्यम से रसीद काट कर एकत्र कि हुई, अथवा प्रदेश के खाते में जमा हुई दान राशि का 40% हिस्सा प्रदेश कोषाध्यक्ष को प्रति माह (अथवा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा तय की गयी आवृत्ति पर) केंद्र के खाते में जमा कराना होगा।
14. वित्तीय हिसाब का वर्ष एक अप्रैल से आरम्भ होगा।
15. प्रत्येक समिति अथवा कार्यकारिणी के हिसाब की प्रतिवर्ष उस व्यक्ति द्वारा जांच की जायेगी, जिसे राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन) द्वारा गठित वित्तीय समिति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तथा उसकी प्रतिवर्ष

स्वीकृति दी जायेगी।

16. राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से वर्ष के बीच में भी, अथवा एक से अधिक बार भी, उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अथवा टीम के द्वारा किसी समिति या कार्यकारिणी की वित्तीय लेखा परीक्षा (ऑडिट) की जा सकती है।

धारा - 10: पार्टी संविधान का संशोधन

1. संविधान में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा किया जा सकेगा।
2. पार्टी संविधान में किए गए बदलाव को अनुसमर्थन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अगले सत्र में कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा।
3. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद दो-तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही संविधान संशोधन को अपनाया गया माना जाएगा।
4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऐसी बैठक जिसमें पार्टी संविधान संशोधन को अपनाया जा रहा होगा उसमें कार्यकारिणी के कम से कम 3/4 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ऐसा न होने पर संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा

धारा - **11:** विलय, विभाजन और विघटन प्रक्रिया

1. विलय, विभाजन और विघटन, जहां भी लागू हो, भारतीय संविधान के दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।
2. जहां भारतीय संविधान के दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों लागू न हो, ऐसे निर्णयों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2/3 सदस्यों का अनिवार्य कोरम उपस्थित होना होगा और कोरम के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर इसे अपनाया हुआ माना जाएगा।

धारा -**12**: आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए(5) के तहत अनिवार्य प्रावधान

*29ए. राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों का चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण।–

पार्टी कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी।